UPLK010047702024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1109/2024

सरकार **बनाम** शुभम राय

अ0सं0 450/2023

धारा–354,302 भा0द0सं0

तथा धारा 3(2)V, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट

थाना–सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ।

23–01–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त शुभम राय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त विनित कुमार सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 302 भा0द0सं0 तथा धारा 3(2)V अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 27.03.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010047702024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1109/2024

सरकार **बनाम** शुभम राय

अ0सं0 450/2023

धारा–354,302 भा0द0सं0

तथा धारा 3(2)V, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट

थाना–सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त शुभम राय को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनॉक 21.01.2024 व समय अदम तहरीर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ सीमान्तर्गत सेलिब्रटीज मीडोज जी टावर, हाउस नं0 903 नवम तल पर आप अभियुक्त शुभम राय द्वारा वादिनी मुकदमा कालिन्दी वर्मा की पुत्री श्रुति की लज्जा भंग करने के आशय से वादिनी पर हमला किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः–यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त शुभम राय द्वारा वादिनी मुकदमा कालिन्दी वर्मा की पुत्री श्रुति को उक्त बिल्डिंग के नवम तल से गिरा कर श्रुति की हत्या कारित किया इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त शुभम राय द्वारा वादिनी मुकदमा कालिन्दी वर्मा की पुत्री श्रुति (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) की हत्या कारित किया, जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लेागों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 23–01–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 23–01–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127